पत्रांक–2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2015 17 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 04/07/19

विषयः– पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 के द्वितीय किस्त के रूप में कर्णांकित कुल राशि ₹50772.50 लाख (पाँच सौ सात करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार रु०) मात्र में से Grant की राशि ₹20941.50 लाख (दो सौ नौ करोड़ एकतालीस लाख पचास हजार रु०) का 05 प्रतिशत राशि ₹1047.075 लाख (दस करोड़ सैंतालीस लाख सात हजार पाँच सौ रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के नगर निकायों में आंतरिक अंकेक्षण तथा दोहरी लेखा प्रणाली के कार्य पर केन्द्रीयकृत रूप से व्यय करने की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में Devolution की कुल राशि ₹59662.00 लाख (पाँच सौ छियानवे करोड़ बासठ लाख रु०) तथा Grant के रूप में ₹44483.00 लाख (चार सौ चौवालीस करोड़ तेरासी लाख रु०) अर्थात् कुल ₹104145.00 लाख (एक हजार एकतालीस करोड़ पैंतालीस लाख रु०) कर्णांकित थी। प्रथम किस्त के रूप में इस राशि का 50 प्रतिशत राशि क्रमशः Devolution के रूप में ₹29831.00 लाख (दो सौ अंठानवे करोड़ एकतीस लाख रु०) तथा Grant के रूप में ₹22241.50 लाख (दो सौ बाईस करोड़ एकतालीस लाख पचास हजार रु०) अर्थात् कुल ₹52072.50 लाख (पाँच सौ बीस करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार रु०) मात्र सभी नगर निकायों को आवंटित किया जा चुका है तथा Grant की राशि का 05 प्रतिशत राशि ₹1112.075 लाख (ग्यारह करोड़ बारह लाख सात हजार पॉच सौ रु०) मात्र विभागीय स्तर से नगर निकायों के आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली का कार्य कराने हेतु उपयोग किया गया है। पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 के द्वितीय किस्त की राशि ₹50772.50 लाख (पाँच सौ सात करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार रु०) को वित्तीय वर्ष 2018–19 की उपबंधित राशि से आवंटित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गई है।

2. Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग के संबंध में पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय– 9 के टेबल– 9.12 में SPUR Type Professional Services रखने की भी अनुशंसा है। विदित हो कि पूर्व में सभी नगर निकायों के आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली का कार्य स्पर

के माध्यम से कराया जा रहा था। स्पर का कार्यकाल दिनांक– 31.03.2017 को समाप्त हो चुका है। नगर निकायों में कर्मचारियों की कमी एवं उनके आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नगर निकायों में आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली का कार्य कराने हेतु विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से एजेंसियों का चयन किया जाता है। अतः चयनित एजेंसियों के माध्यम से राज्य के नगर निकायों में कराये गये एवं कराये जाने वाले आंतरिक अंकेक्षण, दोहरी लेखा प्रणाली हेतु नगर निकायों को वितरित किये जाने वाले Grant की कुल राशि में से 05 प्रतिशत राशि का केन्द्रीयकृत रूप से चयनित एजेंसियों को नियमानुसार भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर निकायों को Grant के रूप में प्राप्त हुई कुल राशि ₹44483.00 लाख (चार सौ चौवालीस करोड़ तेरासी लाख रु०) मात्र में से प्रथम किस्त की राशि ₹22241.50 (दो सौ बाइस करोड़ एकतालीस लाख पचास हजार रु०) मात्र तथा मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना हेतु ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र आवंटित करने के उपरांत अवशेष Grant की राशि ₹20941.50 लाख (दो सौ नौ करोड़ एकतालीस लाख पचास हजार रु०) मात्र का 05 प्रतिशत राशि ₹1047.075 लाख (दस करोड़ सैंतालीस लाख सात हजार पाँच सौ रु०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय राज्य के नगर निकायों में कराये गये आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली के कार्यों के लिए विभाग द्वारा चयनित एजेंसियों को विभागीय स्तर से भुगतान करने पर किया जायेगा।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹1047.075 लाख (दस करोड़ सैंतालीस लाख सात हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी निम्न विधि से की जाएगी :–

(i) राशि की **निकासी विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जाएगा** तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के पी०एल० खाता संख्या– 259 सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में संधारित की जाएगी। तदोपरांत संबंधित एजेंसीयों को निविदा की शर्तों के अनुरूप उनके द्वारा किये गये आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली के कार्यों के विरूद्ध विपत्रों के भुगतान पर विभाग द्वारा बुडा के उक्त पी०एल० खाते से व्यय किया जाएगा।

(ii) राशि की निकासी बी०टी०सी० फॉर्म– 46 पर की जाएगी। राशि के निकासी के लिए विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। विपत्र के साथ बुडा के पी०एल० खाता सं०– 259 की प्रति संलग्न किया जाएगा।

(iii) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना उक्त राशि को बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के पी०एल० खाता संख्या– 259 में ऑनलाईन अंतरित कर देंगे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा चालान की एक प्रति विपत्र भाउचर के साथ महालेखाकार को अवश्य भेजी जाएगी, जो अंतरण जमा (Transfer Credit) का साक्ष्य होगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹1047.075 लाख (दस करोड़ सैंतालीस लाख सात हजार पाँच सौ रु०) की निकासी निम्नवत् की जायेगी :–

(i) उक्त स्वीकृत राशि ₹1047.075 लाख (दस करोड़ सैंतालीस लाख सात हजार पाँच सौ रु०) मात्र में से ₹526.03218 लाख (पाँच करोड़ छब्बीस लाख तीन हजार दो सौ अठारह रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–48–स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आय–व्ययक के मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–191–नगर निगम को सहायता–0013–राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान–विपत्र कोड– **48-2217801910013,** विषय शीर्ष– 0013.31.04 मद से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

(ii) उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹1047.075 लाख (दस करोड़ सैंतालीस लाख सात हजार पाँच सौ रु०) मात्र में से ₹334.45305 लाख (तीन करोड़ चौंतीस लाख पैंतालीस हजार तीन सौ पाँच रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–48 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आय–व्ययक के मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–192–नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता–0005–राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद् को सहायक अनुदान–विपत्र कोड– **48-2217801920005** विषय शीर्ष–0005.31.04 मद से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

(iii) उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹1047.075 लाख (दस करोड़ सैंतालीस लाख सात हजार पाँच सौ रु०) मात्र में से ₹186.58977 लाख (एक करोड़ छियासी लाख अंठावन हजार नौ सौ सतहत्तर रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–48 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आय–व्ययक के मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता–0005–राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतको सहायक अनुदान–विपत्र कोड– **48-2217801930005** विषय शीर्ष– 0005.31.04 मद से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

9. वित्त विभाग की सहमति संचिका सं०–2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2015 के पृष्ठ–196/टि० पर दिनांक– 30.05.2018 को प्राप्त है।

10. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक– 20.06.2018 की बैठक के मद संख्या– 06 के रूप में प्राप्त है।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2015 के पृष्ठ सं०–205/टि० पर दिनांक–02/07/2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–205/टि० पर दिनांक–02/07/2018 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त सभी नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03.07.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2015 17 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक–04/07/18

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त सभी नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप निदेशक, बुडा, पटना/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विभागीय लेखा शाखा को 02 प्रतियों में/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रबंधक एम०आई०एस० को सभी नगर निकायों को सूचित एवं अनुश्रवण करने हेतु/विभागीय आई टी मैनेजर को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने एवं सभी नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी–02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.07.18

सरकार के विशेष सचिव।